[L-8]

1

Lawful Consideration and Objects

* Consideration :— समान्य बोल-चाल की भाषा में प्रतिफल से आशय कुछ मूल्य अथवा प्राप्ति से है जो वचन दाता से वचन ग्रहीता द्वारा लिया जाता है। दूसरे शब्दों में यह कुछ के बदले कुछ है। बिना प्रतिफल के दिया गया वचन उपहार मात्र है जबकि जो वचन प्रतिफल के बदले में दिया जाता है उसे सौदा कहा जाता है। बिना प्रतिफल के समझौता नही होता यह एक समान्य नियम है क्योंकि प्रतिफल के बिना किया गया समझौता व्यर्थनीय होता है हालाँकि इसके कुछ अपवाद भी होते है:— यह एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से कुछ पाने की चाहत में समझौता करते है।

* ~~Remuneration :~~

H.W *

• According to Indian High Court :

प्रतिफल से आशय उस लाभ से है

जो वचन दाता द्वारा वचन ग्रहीता को दिया जाता है।"

- <u>According to Blackstone,</u> "प्रतिफल अनुबंध करने वाले पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को दिया जाने वाला परितोषण है।

- <u>According to Indian Contract act 1872,</u> "जब वचन दाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता ने कोई कार्य किया है, अथवा करने से अलग रहना है तो उसके लिए जो परितोषण दिया जाता है, उसे प्रतिफल कहते है।"

* <u>Conclusion :-</u> उपर्युक्त परिभाषाओं के अनुसार निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि प्रतिफल से आशय उस लाभ से है जो वचन दाता द्वारा वचनगृहीता को दिया जाता है।

* प्रतिफल के लक्षण अथवा तत्व

प्रतिफल के लक्षण एवं तत्व निम्न है :—

(i) प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर हो :— प्रतिफल सदैव वचनदाता की इच्छा पर ही उत्पन्न होना चाहिए, क्योंकि यदि कोई कार्य वचन दाता के बिना इच्छा से अथवा तृतीय पक्षकार की इच्छा से किया जाता है, तो यह वैधानिक दृष्टि से 'प्रतिफल नही हो सकता है।

(ii) प्रतिफल वचनगृहीता अथवा किसी अन्य व्यक्ति की ओर से हो सकता है :— प्रतिफल वचनगृहीता अथवा किसी अन्य व्यक्ति की ओर से हो सकता है। इस नियम को रचनात्मक प्रतिफल का सिद्धांत भी कहते है। इसके विपरित अंग्रेजी राजनियम में प्रतिफल वचनगृहीता की ओर से होना आवश्यक होता है।

(iii) प्रतिफल कुछ कार्य या विरति का वचन हो सकता है :—

प्रतिफल की परिभाषा से पूर्ण तथा स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिफल कुछ कार्य या विरति का वचन हो सकता है। प्रतिफल नकारात्मक भी हो सकता है।

(iv) कुछ प्रतिफल आवश्य होना चाहिए :- प्रतिफल की दी हुई परिभाषा के अनुसार कुछ प्रतिफल होना चाहिए। 'हाँ' यह आवश्यक नही है कि प्रतिफल 'उपयुक्त' एवं 'पर्याप्त' ही हो। इस संबंध से धारा 25(2) का भी यही निर्देश है कि प्रतिफल का पर्याप्त होना अनिवार्य नही है।

(v) प्रतिफल अवैधानिक नही होना चाहिए:- प्रतिफल सदैव वैधानिक ही होना चाहिए क्योंकि अवैधानिक प्रतिफल होने पर धारा (23) के अनुसार ठहराव व्यर्थ माना जाता है।

(vi) प्रतिफल वास्तविक होना चाहिए :- प्रतिफल वास्तविक होना चाहिए। यदि प्रतिफल अस्पष्ट, अनिश्चित, छलपूर्ण, असंभव, भ्रामक अथवा कपटपूर्ण होगा तो वह प्रतिफल नही माना जाएगा।

(vii) **प्रत्येक अनुबंध के लिए पृथक प्रतिफल होना चाहिए** :— यह भी आवश्यक है कि पृथक-पृथक अनुबंधों के लिए पृथक-पृथक प्रतिफल होना चाहिए। यदि कोई दो अनुबन्ध किसी पक्षकार के साथ किये जाए तो प्रत्येक अनुबंध का प्रतिफल निश्चित होना चाहिए।

(viii) **प्रतिफल मूल्यवान होना चाहिए** :

Anson के अनुसार

"प्रतिफल का राजनियमों की दृष्टि में कुछ मूल्य अवश्य होना चाहिए। यदि प्रतिफल का कुछ भी मूल्य नही होगा तो वह ठहराव वैध नही होगा"

* अनुबंध के लिए संबंधों का सिद्धांत

जो व्यक्ति किसी अनुबंध का पक्षकार नहीं है वह व्यक्ति उस अनुबंध के संबंध में ना तो स्वयं वाद ~~लाया~~ प्रस्तुत कर सकता है और ना ही उसके खिलाफ कोई वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। केवल अनुबंध के संबन्धित पक्षकार ही अनुबंध के संबंध में प्रवर्तन के लिए वाद प्रस्तुत कर सकते है। इसे अनुबंध में संबंधों का सिद्धांत कहते है। इसके कुछ अपवाद भी है जो निम्न है :—

(i) एक व्यक्ति जिसके पक्ष में Trustee (प्रन्यास) की स्थापना की गई है वह अनुबंध का पक्षकार ना होते हुए भी प्रन्यासी की स्थिति में अपने अधिकार को लागु करने के लिए ~~उसने~~ दुसरे पक्षकार पर वाद प्रस्तुत कर सकता है।

(ii) यदि किसी तीसरे पक्षकार के लाभ के लिए किसी विशिष्ट संपत्ति पर भार को स्थापना की गई है तो ऐसा तीसरा पक्षकार अनुबंध का पक्षकार ना

होते हुए भी अनुबंध को परिवर्तनीय करा सकता है।

(iii) जहाँ विवाह के निपटारे अथवा अन्य व्यवस्थाओं के संबंध परिवारिक में ठहराव किया गया है एवं किसी व्यक्ति के लाभ के लिए कोई प्रावधान किया है तो ऐसा व्यक्ति लाभ प्राप्त करने के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है।

(iv) यदि नियुक्ता ने अपने ऐजेन्ट के माध्यम से कोई अनुबंध किया हो तो नियुक्ता उस अनुबंध को परिवर्तनीय करा सकता है।

* अवैधानिक प्रतिफल

अनुबंध अधिनियम की धारा (23) के अनुसार, "प्रत्येक ठहराव में निम्न दशाओं को छोड़कर प्रतिफल एवं उद्देश्य वैधानिक माना जाता है :-

(i) यदि वह राजनियम द्वारा वर्जित हो।

(ii) वह इस प्रकार का हो यदि अनुमति दे दि जाए तो किसी भी अन्य अधिनियम के आदेश को निस्फल कर देगा।

(iii) वह न्यायलय की दृष्टि में अनैतिक हो।

(iv) यदि वह लोक हित के विरुद्ध हो।

(v) यदि वह कपटमय हो।

(vi) यदि उससे दुसरे व्यक्ति के शरीर तथा संपत्ति पर क्षति पहुँचती हो।

उपर्युक्त सभी दशाओं में प्रतिफल एवं उद्देश्य अवैधानिक माना जाएगा। प्रत्येक ऐसा ठहराव जिसमें प्रतिफल तथा उद्देश्य अवैधानिक हो तो व्यर्थ होता है।

3) क्या प्रतिफल – रहित ठहराव सदैव व्यर्थ है? प्रतिफल रहित ठहराव का व्यर्थ ना होने का अपवाद?

कभी-कभी स्थिति ऐसी भी आती है की बिना प्रतिफल का भी ठहराव वैध माना

जाता है इसके संबंध में अनुबंध अधिनियम में वर्णन किया गया है। जो निम्न है :—

(i) स्वाभाविक प्रेम एवं स्नेह के कारण किया गया वचन :- यदि ठहराव लिखित है उसकी रेजिस्ट्री की जा चुकी है तथा वह स्वाभाविक ~~प्रेम~~ स्नेह से प्रेरित हो कर ऐसी पक्षकारों के बीच किया गया है जो एक-दुसरे के परस्पर निकट संबंधी है तो बिना प्रतिफल के भी ठहराव वैध माना जाएगा।

(ii) भूतकाल में स्वेच्छा से प्रदान की गई सेवा की क्षति पूर्ति के लिए दिया गया वचन :- यदि ठहराव किसी ऐसी व्यक्ति की पूर्ण अथवा आंशिक क्षतिपूर्ति का वचन है जिसने भूतकाल में वचनदाता के लिए स्वेच्छा से कोई कार्य किया है जिसे करने के लिए वचनदाता स्वयं वाध्य था तो बिना प्रतिफल के भी ठहराव वैध होगा।

(iii) एजेन्सी का अनुबंध → भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा (185) के अनुसार "एजेंसी की स्थापना के अनुबंध के लिए प्रतिफल का होना अनिवार्य नही है।

(iv) बिना शुल्क के निक्षेप की दशा में प्रतिफल का होना आवश्यक नही है।

(v) दान एवं भेंट :- यदि किसी व्यक्ति में सम्पत्ति अन्तर्नियम 1882 के अंतर्गत लिखित प्रस्ताव द्वारा किसी संपत्ति को किसी व्यक्ति एवं संस्था को दान कर दिया है तो इसके लिए किसी प्रतिफल की आवश्यकता नही है।